आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार सामग्री का वितरण 35 लाख होंगे लाभान्वित

District : dipr
Department :
VIP Person : General
Press Release
State News
Attached Document :
LK-02-4-04-2020-2.docx (http://103.203.138.54/news/205623/document/LK-02-4-04-2020-2.docx)

DESCRIPTION

आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषाहार सामग्री का वितरण
35 लाख होंगे लाभान्वित

जयपुर ,2 अप्रैल। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 35 लाख लाभार्थियों को दाल, गेहूं के रूप में साबुत अनाज दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तगर्त 35 लाख परिवारों को एक माह में 1 किलोग्राम दाल व 2 से 3 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। यह व्यवस्था कोरोना वायरस की प्रभाव अवधि तक लागू रहेगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव ड. के के पाठक ने बताया कि यह सामग्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात् विभाग द्वारा राशन डीलरों के माध्यम से दिए जाने वाले सामान्य पीडीएस के गेहूं अन्य सामग्री के अतिरिक्त होगी। उन्होंने बताया कि राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत पूरक पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 35 लाख लाभार्थियों को साल में तीन सौ दिवस पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के तहत पोषाहार टेक होम राशन, गरम खाने व नाश्ते के रूप में 6 माह से 3 वर्ष तक के 16.30 लाख बच्चों को 750 ग्राम बेबी मिक्स पोषाहार पैकेट (टेक होम राशन) प्रति सप्ताह दिया जा रहा था।

डॉ. पाठक ने बताया कि इसी प्रकार 3 वर्ष से 6 वर्ष के 9 .90 लाख लाभार्थी बच्चों को भी गरम खाना व नाश्ते की जगह 750 ग्राम का बेबी मिक्स पोषाहार पैकेट प्रति सप्ताह दिया जा रहा था। इसके अतिरिक्त गर्भवती 4.22 लाख महिलाएं एवं धात्री 4.02 लाख महिलाओं को 6 माह तक तथा 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली 0.92 लाख किशोरी बालिकाओं को 930 ग्राम बेबी मिक्स पोषाहार पैकेट टेक होम राशन प्रति सप्ताह दिया जा रहा था।

शासन सचिव ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी को टेक होम राशन के रूप में गेहूं दलिया और दाल पोषाहार ही वितरित किया जाएगा ताकि लाभार्थियों को स्वच्छ व वायरस मुक्त पोषाहार की समुचित आपूर्ति हो सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा पूरक पोषाहार हेतु निर्धारित कैलोरी, प्रोटीन व

राशि एक माह में 25 दिन के लिए टेक होम राशन दिया जाएगा। 6 माह से 6 वर्ष तक के अति कम वजन वाले बच्चों के लिए 3000 ग्राम गेहूं दलिया व 2000 ग्राम चना, मूंग ,मोठ या मसूर दाल दिया जाएगा। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2000 ग्राम गेहूं दलिया और 1000 ग्राम चना, मूंग ,मोठ या मसूर दाल टेक होम राशन दिया जाएगा। वही गर्भवती धात्री महिलाएं तथा 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को 3000 ग्राम गेहूं दलिया वह 1000 ग्राम चना, मूंग, मोठ या मसूर की दाल टेक होम राशन दिया जाएगा। यह टेक होम राशन आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी मातृ बाल विकास समिति को दिया जाएगा। मासिक पोषाहार सामग्री पूर्व में ही पूरे माह के लिए दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि साबुत अनाज दिए जाने से मिलावट की संभावना नहीं रहेगी तथा इसकी शैल्फ लाइफ भी अधिक होती है।

SUPPORTING IMAGES

Copyright © 2016 Information and Public Relations Department. All Right Reserved.

Last Updated On: **14/4/2020**
You are visitor No.:

001661746

Website Policies (/content/dipr/en/websitepolicies.html) | Disclaimer (/content/dipr/en/disclaimer.html) |

Accessibility (/content/dipr/en/accessibility.html) | Sitemap (/content/dipr/en/sitemap.html)

Nodal Officer: **Sh. Arun Kumar Joshi**

Designation : Joint Director(News)

Mobile Number : 9610409010

Email: dpr-comp-rj@nic.in

This website belongs to Information and Public Relations Department

We're on social networks

(https://(https://(https://(https://www.youtube.com/channel/UC2oIZW3EmG59rjejhn

(https://validator.w3.org/) (https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer)